International Journal of Applied Research 2021; 7(2): 466-469

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2021; 7(2): 466-469
www.allresearchjournal.com
Received: 05-12-2020
Accepted: 20-01-2021

अरूण कुमार
शोधार्थी, राजनीति शास्त्र विभाग, ल० ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार, भारत

Corresponding Author:
अरूण कुमार
शोधार्थी, राजनीति शास्त्र विभाग, ल० ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार, भारत

महिला विमर्श और राजनीति

अरूण कुमार

सारांश
वास्तव में महिला विमर्श राजनीति की ही उपज है और महिला विमर्श की बुनियाद महिला सशक्तिकरण पर ही आधारित है। राजनीतिक दृष्टिकोण से महिला सशक्तिकरण को परिभाषित करते हुए, 'यूनाइटेड नेशन्स हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स' ने लिखा है कि यह औरतों को शक्ति क्षमता तथा का बिलियत देता है ताकि वह अपने जीवनस्तर को सुधारकर अपने जीवन की दिशा को स्वयं निर्धारित कर सके। अर्थात् यह वह प्रक्रिया है जो महिलाओं को सत्ता की कार्यशैली समझने की न केवल समझ दे अपितु साथ-ही-साथ सत्ता के स्रोतों पर नियंत्रण कर सकने की क्षमता भी प्रदान करे।

कूटशब्द: महिला विमर्श, राजनीति, महिला सशक्तिकरण

प्रस्तावना
राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की स्थिति की विवेचना करने के लिए 1971 में एक समिति गठित की गयी थी। टुवाइर्स इक्वालिटी' शीर्षक से 1974 में प्रकाशित इस समिति की रिपोर्ट में कहा गया था कि संस्थागत तौर पर सबसे बड़ी अल्पसंख्यक होने केबावजूद राजनीति पर महिलाओं का असर नाममात्र का है। इस संबंध में उपरोक्त समिति का सुझाव यह था कि इसका उपाय यही है कि हर राजनैतिक दल महिला उम्मीदवारों का एक कोटा निर्धारित करे और जब तक ऐसा नहीं किया जा सकता तब तक नगरपरिषदों और पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाये। पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने के उद्देश्य से सन् 1993 में 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान महिला सशक्तिकरण तथा निर्णय प्रक्रिया में उनकी सहभागिता में वृद्धि की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था।[1]

बिहार तथा राजस्थान ने इस आरक्षण को बढ़ाते हुए 50 प्रतिशत कर दिया है। पंचायतीराज संस्थायें जो निचले स्तर का लोकतांत्रिक ढांचा निर्मित करती है, में महिलाओं की भागीदारी ने ग्रामीण संरचना को सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में बढ़ाया। महिलाओं की पंचायत के माध्यम से विकास प्रक्रियाओं एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहभागिता एक ओर लोकतंत्र राजनीति, सामाजिक न्याय तथा समानता के मध्य संबंधों को अभिव्यक्त करती है तथा दूसरी ओर लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करती है। संसद तथा राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण केन्द्र सरकार द्वारा संसद तथा विधानमण्डलों में महिलाओं के लिये एक तिहाई सीटो पर आरक्षण प्रदान करने

के लिए विधेयक सर्वप्रथम 1996 में संसद में पेश किया गया था।

वर्ष 1998 में विधेयक को पास कराने हेतु सभी राजनीतिक दलों में आम राय बनाने का प्रयत्न किया गया जो असफल रहा और तब से लेकर आज तक यह राजनीति का शिकार बना हुआ है। राजनीतिक सहभागिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की बात जोर-शोर से उठाने वाले राजनीतिक दल स्वयं जीते जा सकने वाले संसदीय क्षेत्रों से महिला उम्मीदवारों को खड़ा करने में एक स्पष्ट हिचकिचाहट दिखाते हैं। आज भी अधिकांश राजनीतिक दलों में महिला सहभागिता का प्रतीकात्मक महत्व ही अधिक है। संभवतः यही कारण है कि संसद व राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण संबंधी बिल अभी भी लम्बित पड़ा हुआ है। महिला समानता और संवैधानिक उपबंध (Women's Equality and Constitutional Provisions) महिला समानता के लिए भारतीय संविधान में कई उपबंध हैं लेकिन वे संविधान में ही सीमित हैं व्यवहार में नहीं।

अनुच्छेद 14- विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण. एवं राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में समान अधिकार एवं अवसर का सुनिश्चितिकरण।[2]

अनुच्छेद 15- लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15 (3)- महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक प्रयास करने की शासन को शक्ति।[3]

अनुच्छेद 39- आजीविका के समान साधन तथा समान कार्य के लिये समान वेतन का प्रावधान।[4] अनुच्छेद 42- कार्य की न्यायपूर्ण एवं मानवीय दशायें तथा प्रसूति सुविधायें।[5]

अनुच्छेद 51-क-मौलिक कर्तव्यों के तहत महिलाओं के प्रति अपमानजनक प्रथाओं के त्याग की अपेक्षा की गयी है।[6]

महिलाओं के कल्याण हेतु विशिष्ट कानून भी बनाये गये हैं, जो इस प्रकार हैं

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 |

प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961, दहेज निषेध अधिनियम 1961

स्त्री अशिष्ट रूपण निषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987,

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, महात्मा गांधी ने कहा था- "स्वतंत्र भारत को ऐसा होना चाहिए कि कोई महिला कश्मीर से कन्याकुमारी तक अकेली घूम ले और उसके साथ कोई अशोभनीय घटना न हो।"[7]

महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के अपेक्षित परिणाम नहीं निकल पाये हैं। भारत में स्त्रियों की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने तथा उनमें सामाजिक और आर्थिक आत्मनिर्भरता विकसित करके उनकी शक्ति को बढ़ाने को ही महिला सशक्तिकरण कहा जाता है। इसके लिए सरकार द्वारा सन् 1954 से अब तक विभिन्न सामाजिक और आर्थिक कानूनों द्वारा उनकी स्थिति में सुधार करने के अतिरिक्त अनेक ऐसे कार्यक्रम लागू किये गये जो महिला सशक्तिकरण का आधार है। महिला सशक्तिकरण का संबंध उन सभी कार्यक्रमों से है जिनका उद्देश्य स्त्रियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करके उनमें अपने अधिकारों तथा राजनैतिक जीवन से संबंधित जागरूकता उत्पन्न करना है।

भारत में महिला सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम मुख्य रूप से सन् 1987 से आरम्भ किये गये। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य कृषि, पशुपालन, डेयरी व्यवसाय, मछली पालन, हथकरघा, हस्तशिल्प, ग्रामीण उद्योगों तथा रेशम के कीड़ों का पालन जैसे रोजगार के परम्परागत व्यवसायों के द्वारा ग्रामीण और नगरीय स्त्रियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाता है। ग्रामीण महिलाओं में स्वशक्ति परियोजना के रूप में सन् 1998 से एक विशेष परियोजना लागू की गई। इसका उद्देश्य अपनी सहायता स्वयं करने वाले समूहों का गठन करके महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाना है। बाद में इस योजना को नगर में रहने वाली महिलाओं के लिए भी लागू कर दिया गया। सरकार द्वारा 20 मार्च 2001 से 'महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति' घोषित करके ऐसे कार्यक्रम आरम्भ करने पर जोर दिया गया जिससे महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में खुलकर भागीदारी कर सके।

सन् 2001 को 'महिला सशक्तिकरण वर्ष' के रूप में घोषित किया गया। महिलाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए महिला विकास निगम की स्थापना सन् 1987 में ही कर दी गई थी। इसे अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए सन् 1992 में एक राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग का काम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा से संबंधित सभी पहलुओं को देखना और महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन देना है। इस आयोग द्वारा महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित मामलों की भी जांच की जाती है तथा ऐसे सुझाव दिये जाते हैं जिससे किसी भी क्षेत्र में महिलाओं का उत्पीड़न न किया जा सके।

महिला सशक्तिकरण के लिए सन् 2001 से देश के 650 विकास खण्डों में एक विशेष योजना आरम्भ की गई जिसे

'स्वयंसिद्धा का नाम दिया गया। इसके अन्तर्गत- (1) महिलाओं द्वारा किसी गृह उद्योग के लिए स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाता है। (2) महिलाओं में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, स्वच्छता और कानूनी अधिकारों के लिए जागरूकता पैदा की जाती है। (3) ग्रामीण महिलाओं में बचत की आदत डालकर उन्हें अपने आर्थिक साधनों का सही उपयोग करना सिखाया जाता है। (4) महिलाओं को उन योजनाओं से परिचित कराया जाता है जिनके अन्तर्गत वे विभिन्न प्रकार के ऋण प्राप्त कर सकती हैं। (5) महिला और बाल कल्याण से संबंधित विभागों की सेवाएं लेने के प्रति उनमें जागरूकता पैदा की जाती है।

महिला सशक्तिकरण की योजनाओं में स्वाधार' एक महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना सन् 2001-02 से आरम्भ की गई। इसके उद्देश्य कठिन परिस्थितियों का सामना कर रही महिलाओं की सहायता करना है। साधारणतया जो महिलाएं किसी प्राकृतिक विपत्ति, नैतिक शोषण, कारावास के दण्ड या पारिवारिक विवादों के कारण बेसहारा हो जाती हैं, इस योजना के द्वारा उन्हें आश्रय, भोजन, कपड़े तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की विशेष सहायता दी जाती है। ऐसी महिलाओं के लिए इस तरह के प्रवास गृह भी स्थापित किये जाते हैं जिनमें मुसीबत में फंसी महिलाएं अस्थायी रूप से रह सकें। 4 दिसम्बर 2007 से सरकार द्वारा 'उज्जवला' नाम से एक नयी योजना शुरू की गई। इसके द्वारा अवैध शारीरिक व्यापार में उत्पीड़ित महिलाओं की रिहाई करवाकर उनके पुनर्वास के प्रयत्न किये जाते हैं।

महिला कल्याण के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत अब और मातृत्व शिशु कल्याण के लिए नयी योजनाएं शुरू की गई है। इनमें जननी सुरक्षा योजना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसके अन्तर्गत किसी सरकारी अस्पताल या निर्धारित निजी अस्पताल में बच्चे को जन्म देने की दशा में शहरी महिला को 1000 रु. तथा ग्रामीण महिला को 1400 रु. की आर्थिक सहायता दी जाती है जिससे माता तथा बच्चे को पौष्टिक आहार देने की व्यवस्था की जा सके। दूसरी योजना का नाम 'सलौनी स्वास्थ्य योजना' है। इसके द्वारा कम आयु की लड़कियों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अब गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बड़े पैमाने पर 'आशा' कर्मियों की नियुक्ति की गई है जिनका काम घर-घर जाकर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण करने तथा उन्हें चिकित्सा की सुविधाएँ देना है।

बालिकाओं की भूण हत्या रोकने के लिए जनवरी 2009 से महामाया बालिका आशीर्वाद योजना' आरम्भ की गई। इसके अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में बालिका के जन्म लेने के दो वर्ष के अन्दर ही सरकार द्वारा उसका एक 'सावधि जमा खाता' खोल दिया जाता है। यह राशि इस तरह जमा की जाती है जिससे बालिका की आयु 18 वर्ष होने पर यह रकम बढ़कर एक लाख रुपये हो जाये। इसका उपयोग बालिका की शिक्षा अथवा विवाह के लिए किया जा सकता है। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने उन वृद्ध महिलाओं की सहायता के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू की जिनकी देखभाल करने के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। असंगठित क्षेत्र में श्रम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए 'असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कानून 2009 पारित किया गया।

इसका उद्देश्य महिला श्रमिकों को समुचित मजदूरी दिलवाने की व्यवस्था करना तथा काम के दौरान उन्हें तरह-तरह की सुविधाएँ देना है। नगरों में कामकाजी महिलाओं को सस्ती दर पर सुरक्षित आवास की व्यवस्था करने तथा कामकाजी महिलाओं के शिशुओं की देखभाल करने के लिए महिला हॉस्टलों के निर्माण की योजना आरम्भ की गई। स्त्रियों को समान अधिकार देने तथा उनका विकास करने के लिए अन्य देशों के साथ भारत में भी 'विश्व महिला दिवस का आयोजन किया जाता है। पिछले विश्व महिला सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए एक राष्ट्रीय नीति घोषित की जाये। भारत ने भी इस निर्णय के प्रति अपनी वचनबद्धता स्वीकार की। महिला खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए अब विकास खण्ड स्तर से लेकर राज्य स्तर तक सरकार द्वारा विशेष आर्थिक सहायता दी जाती है। इन सभी प्रयत्नों से निर्धन परिवारों की ग्रामीण तथा नगरीय महिलाओं की दशा में काफी परिवर्तन हो सका है।

निष्कर्ष

वास्तविकता यह है कि हमारे समाज में स्त्रियों की आर्थिक परतंत्रता तथा धार्मिक अन्धविश्वास लैंगिक विषमता के प्रमुख कारण रहे हैं। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की सहायता से जैसेजैसे स्त्रियों में आर्थिक आत्म-निर्भरता बढ़ेगी तथा शिक्षा के प्रभाव से तार्किक विचारों में वृद्धि होगी, स्त्री-पुरुष के विभेद की समस्या का अपने आप समाधान होता जायेगा। लेकिन इसके लिए अनवरत प्रयास जरूरी है। अभी तक जो भी समानता और बेहतरी के अधिकार हासिल हुए हैं वे राजनीति

और राजसत्ता को प्रभावित करने से हुए हैं। आगे भी राजनीतिक हस्तक्षेप से ही होगा।

संदर्भ:

1. मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट, ए विन्डीकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वोमन (1792), हार्मण्डसवर्थ, पेंग्विन, 1983
2. भारत का संविधान अनुच्छेद 14
3. भारत का संविधान अनुच्छेद-15
4. भारत का संविधान अनुच्छेद - 39
5. भारत का संविधान अनुच्छेद-42
6. भारत का संविधान अनुच्छेद-51
7. क्लेमेस ऑगस्टिन और ए.के. शर्मा, "फेमेनिस्ट रिसर्जेन्स इन इण्डिया टुवइंस ए गाँधीयन फ्रेमवर्क", सुब्रत मुखर्जी, सुशीला रामास्वामी, (सं.) फेसेट्स ऑफ महात्मा गाँधी: इकोनोमिक एंड सोशल प्रिंसीपल्स, दीप एंड दीप पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1994, पृष्ठ 301